षोडश बिहार विधान सभा

सप्तम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-23.08.2017 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स० श्री सीताराम यादव, स०वि०स० श्री फैयाज अहमद, स०वि०स०	"बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी (जीविका) में 11 दिसम्बर, 2016 को 11 विभिन्न प्रकार के पदों पर संविदा नियुक्ति के लिये कुल 214 रिक्तियों का विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित हुआ । सभी पदों के लिये सोसाईटी द्वारा 24 एवं 25 फरवरी, 17 को साईस कॉलेज में लिखित परीक्षा हुई । लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होनेवाले अभ्यर्थियों का ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू 8 से 10 अप्रैल, 17 तक हुआ । जब परीक्षाफल प्रकाशित हुआ तो आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया कि लिखित परीक्षा में ज्यादा अंक लाने वाले को साक्षात्कार में कम अंक देकर फेल कर दिया गया और कम अंक लाने वाले को साक्षात्कार में ज्यादा नम्बर देकर पास कर दिया गया । साक्षात्कार में पक्षपात कर नियुक्ति में अनियमितता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा क्लास-3 एवं क्लास-4 के पदों की नियुक्ति में साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया परन्तु बिहार में राज्य सरकार की नियुक्तियों में अभी भी साक्षात्कार की व्यवस्था जारी है जिसके कारण आये दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं । अतः बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाईटी (जीविका) में हुई अनियमित नियुक्तियों की जांच करने तथा साक्षात्कार की व्यवस्था को राज्य में समाप्त किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	ग्रामीण विकास

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री रवि ज्योति कुमार, स०वि०स०	''पूरे बिहार में दिनांक-01 जनवरी, 1990 के पूर्व से कार्यरत चौकीदारों, दफादारों के आश्रितों, करीब 50 प्रतिशत को गृह आरक्षी विभाग, पटना के पत्रांक-11287, दिनांक-20 दिसम्बर, 1995 के आलोक में वेतनमान पर नियुक्त कर लिया गया है । गृह आरक्षी विभाग के पत्रांक-11741, दिनांक-07.12.2005 के द्वारा 20 दिसम्बर, 1995 से 12 नवम्बर, 2004 तक की नियुक्ति को सरकार द्वारा समर्थन भी किया जा चुका है । शेष 50 प्रतिशत, दिनांक-01 जनवरी, 1990 को पूर्व से कार्यरत चौकीदारों के आश्रितों की नियुक्ति में रोक लगा दिया गया है । अतएव लम्बित चौकीदारों एवं दफादारों की नियुक्ति हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।"	गृह

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-26/17-5729-5742 /वि०स०, पटना, दिनांक-22 अगस्त, 2017 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / ग्रामीण विकास विभाग तथा गृह विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय
22.8.17
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-26/17- 5729-5742 /वि०स०, पटना, दिनांक-22 अगस्त, 2017 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय
22.8.17
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

22/08/17